

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-26.09.2024

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज सी0डि0/एसीजेएम प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी –

1-दिनांक 07.08.1998 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बिन्दू डोम पुत्र दहलू निवासी मलदहिया थाना सिगरा जिला वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 278/1998 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना मुगलसरा के पैरोकार आरक्षी रवि कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन श्री संदीप कुमार (सिविल जज सी0डि0/एसीजेएम प्रथम चन्दौली) द्वारा अभियुक्तगण 1.बिन्दू डोम पुत्र दहलू निवासी मलदहिया थाना सिगरा जिला वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 नफर अन्तर्राज्यीय गौ-तस्कर गिरफ्तार जिसके कब्जे 01 अदद मैक्स पिकप वाहन में 11 राशि गोवंश बरामद-

थाना बलुआ पुलिस जनपद चन्दौली द्वारा तिवारीपुर नहर पुलिया बहद ग्राम तिवारीपुर के पास से 01 अदद वाहन मैक्स पिअप वाहन सं0 UP70MT8175 में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादकर परिवहन किये जा रहे 11 राशि गोवंश (08 राशि गाय , 01 राशि बछिया , व02 राशि बछड़ा) को बरामद किया गया तथा मौके से अभियुक्त विशाल यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा चालक के सीट के निचले हिस्से में गिरा 01 अदद स्क्रीन टच मोबाइल सैमसंग बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 172/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विशाल यादव पुत्र मनोज यादव निवासी ग्राम मुस्तफाबाद थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त विशाल यादव पुत्र मनोज यादव का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-172/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

1-दिनांक 19.08.2001 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अश्वनी मिश्रा पुत्र दीन दयाल मिश्रा निवासी गौतमनगर थाना कस्बा जिला चन्दौली 2.गुड्डू उर्फ मदन मोहन पुत्र उमा शंकर उपाध्याय निवासी मीरदासपुर थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 132/2001 धारा 379,411 भादवि थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना कोतवाली चन्दौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी रमाशंकर यादव (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा अभियुक्तगण 1. अश्वनी मिश्रा पुत्र दीन दयाल मिश्रा निवासी गौतमनगर थाना कस्बा जिला चन्दौली 2.गुड्डू उर्फ मदन मोहन पुत्र उमा शंकर उपाध्याय निवासी मीरदासपुर थाना सैयदराजा चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000-500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना कन्दवा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया-

थाना कंदवा पुलिस टीम ने चन्दौली थाने मे पंजीकृत मु0अ0सं0 319/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र निहोरीलाल निवासी सलारपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को दिनांक 26.09.2024 समय 09.00 बजे तलाशपुर तिराहा के पास से मुखबीर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा वांछित अभियुक्त का विवरण व गिरफ्तारी का स्थान

1. बृजेश कुमार पुत्र निहोरीलाल निवासी सलारपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को तलाशपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1-मु0अ0सं0 319/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

2-मु0अ0सं0 152/2022 धारा 411/419/420/379 भादवि थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3-मु0अ0सं0 74/2023 धारा 411/413/414/419/420 भादवि थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कि थाना नौगढ़ पर गठित टीम द्वारा वांछित अभियुक्तगण के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 26.09.2024 को उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी मय टीम द्वारा समय 09.15 बजे मझगाई बाजार के पास से 02 नफर वांछित अभियुक्तगण सम्बन्धित मु0अ0सं0 79/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु0अ0सं0 79/24 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. भरथरी मुशहर पुत्र बबुन्दर मुशहर नि0 ग्राम लोहरा गुलरहवा थाना रावर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र करीब 22 वर्ष
2. अनिल मुसहर उर्फ छोटू मुसहर पुत्र चुलई मुसहर नि0 ग्राम लोहरा गुलरहवा थाना रावर्टसगंज जनपद सोनभद्र उम्र 24 वर्षया गया

मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी –

1-दिनांक 22.08.2003 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बच्चा सिंह पुत्र गनेश सिंह निवासी गौशपुर थाना सकलडीहा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 125/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.बच्चा सिंह पुत्र गनेश सिंह निवासी गौशपुर थाना सकलडीहा चन्दौली को 03 माह का साधारण कारावास व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी –

1-दिनांक 01.04.2003 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.धर्मदेव यादव पुत्र विदेशी यादव निवासी सावड थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 42/2003 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.धर्मदेव यादव पुत्र विदेशी यादव निवासी सावड थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी-

1-दिनांक 06.04.2004 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. पारस नाथ बियार पुत्र खेतानू निवासी उत्तरौत थाना बबुरी जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 51/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना चन्दौली के पैरोकार मुख्य आरक्षी रमाशंकर यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन (न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.पारस नाथ बियार पुत्र खेतानू निवासी उत्तरौत थाना बबुरी जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी-

1-दिनांक 14.05.2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.खेदारु बिन्द पुत्र मरजू बिन्द निवासी मच्छरमारा थाना जमानिया जिला गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 44/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद द्वारा अभियुक्त 1.खेदारु बिन्द पुत्र मरजू बिन्द निवासी मच्छरमारा थाना जमानिया जिला गाजीपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

**मा0 न्यायालय द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी-**

1-दिनांक 22.10.2002 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.इस्लाम पुत्र नईम निवासी मारुफपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 142/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व 1. श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-26.09.2024 को पीठासीन सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद द्वारा अभियुक्त 1.इस्लाम पुत्र नईम निवासी मारुफपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।